बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक – प्र010/र0वि0अधि0–03/2016 – 1760 खाद्य, पटना/दिनांक – 06.04.18

प्रेषक,

अंजनी कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

विषय :– **विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति (DCP) व्यवस्था** के माध्यम से रब्बी विपणन मौसम 2018–19 अन्तर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम के लिए कार्ययोजना एवं मार्ग निर्देश।

महाशय,

खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के द्वारा रब्बी विपणन मौसम, 2018–19 के लिए राज्यवार गेहूँ अधिप्राप्ति का सम्भावित लक्ष्य निर्धारित कर सूचित किया गया है । उल्लेखनीय है कि बिहार राज्य के लिए रब्बी विपणन मौसम 2018–19 अन्तर्गत 2.00 (दो) लाख मे0टन गेहूँ की अधिप्राप्ति की सम्भावना व्यक्त किये जाने के आलोक में राज्य सरकार द्वारा रब्बी विपणन मौसम 2018–19 के लिए 2.00 (दो) लाख मे0टन गेहूँ की अधिप्राप्ति हेतु सम्भावित लक्ष्य का निर्धारण किया गया है । भारत सरकार के स्तर से राज्य के लिए निर्धारित लक्ष्य की सम्भावना सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि रब्बी विपणन मौसम 2018–19 के लिए राज्य अन्तर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति की विशेष व्यवस्था की जाय ताकि निर्धारित सम्भावित लक्ष्य के अनुरूप राज्य के किसानों से उनके द्वारा उत्पादित गेहूँ की अधिप्राप्ति किया जा सके । साथ ही यह भी सुनिश्चित हो सके कि अधिप्राप्ति वर्ष 2018–19 में राज्य के किसानों से गेहूँ का क्रय पंजीकृत किसानों से हीं हो एवं व्यापारियों / बिचौलियों को गेहूँ अधिप्राप्ति से पृथक रखा जाय तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य का लाभ उन्हें प्राप्त हो सके । **रब्बी विपणन मौसम 2018–19 में पूर्व वर्षों की भाँति गेहूँ की अधिप्राप्ति विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति (DCP) व्यवस्था के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है जिसके अन्तर्गत अधिप्राप्ति किये गये गेहूँ का उपयोग राज्य के नोडल एजेन्सी बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के माध्यम से राज्य के लाभूकों को वितरण किया जायेगा** । राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष भी अधिप्राप्ति के अभियान को निर्वाचन कार्य के सदृश प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है । रब्बी विपणन मौसम 2018–19 के लिए भारत सरकार के पत्रांक संख्या–4(1)/2017–PY.I दिनांक– 15 नवम्बर, 2017 द्वारा गेहूँ के लिए **न्यूनतम समर्थन मूल्य 1735/–** रू0 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम **दिनांक–05.04.2018 से 30.06.2018** तक प्रभावी रहेगा।

1	गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य	1735/– रू0 प्रति क्वींटल
2	गेहूँ अधिप्राप्ति की अवधि	दिनांक– 05.04.2018 से 30.06.2018 तक

2. अधिप्राप्ति कार्यक्रम की मुख्य विशेषतायें

- रब्बी विपणन मौसम 2018–19 में राज्य अन्तर्गत गेहूँ की अधिप्राप्ति पूर्व व्यवस्था के तहत विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति (DCP) व्यवस्था के माध्यम से किया जायेगा ।
- अधिप्राप्ति कार्य हेतु बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया है ।

- अधिप्राप्ति किये गये गेहूँ को राज्य के नोडल एजेन्सी बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा उसकी गुणवत्ता की जांच कर उक्त गेहूँ का उपयोग भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के आलोक में खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत किया जाएगा ।
- **राज्य के किसानों से गेहूँ की अधिप्राप्ति सहकारिता विभाग अन्तर्गत कार्यरत प्रंखड स्तर पर व्यापार मंडल/पैक्स के माध्यम से किया जाना है। जिस प्रखंड में व्यापार मंडल क्रियाशील नहीं है वहॉ सक्षम पैक्स के माध्यम से गेहूँ की अधिप्राप्ति किया जाना है ।**
- व्यापार मंडल द्वारा स्थापित क्रय केन्द्रों में किसानो की ऑन लाईन संधारित सूची के आधार पर राज्य के पंजीकृत किसानों से गेहूँ अधिप्राप्ति की जायेगी ।
- किसानों का ऑनलाईन पंजीकरण आधारित डाटाबेस पर ही किसानों से गेहूँ क्रय किया जायेगा। सहकारिता विभाग द्वारा तैयार अधिप्राप्ति ऑनलाईन सॉफटवेयर पर किसान का ऑनलाईन डाटाबेस संधारित होगा। सहकारिता विभाग द्वारा किसानों का डाटाबेस तैयार किया जायेगा, जिसका स्क्रीनिंग कराकर वेबसाईट पर अपलोड होगा। छुटे हुए किसानों/संशोधित इच्छुक किसानों का ऑनलाईन पंजीकरण वसुधा केन्द्रो/प्रखंड के माध्यम भी किया जायेगा, जिसमें किसानों के जमीन से संबंधित कागज एवं परिचय पत्र से संबंधित कागजात स्कैन कर आवेदन के साथ अपलोड होगा एवं उक्त हार्ड कॉपी की एक प्रति स्वहस्ताक्षरित एवं सहकारिता विभाग द्वारा सत्यापित कराकर क्रय केन्द्रों एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा, जो उसका सत्यापन कर Authenticate करेंगें।
- राज्य में गठित सभी व्यापार मंडल गेहूँ क्रय केन्द्र हेतु क्रियाशील रहेंगे । तकनिकी अथवा वैधानिक कारणों से व्यापार मंडल के अक्रियाशील रहने की स्थिति में सहकारिता विभाग सक्षम पैक्स के माध्यम से गेहूँ अधिप्राप्ति का कार्य कराने की व्यवस्था करेगी ताकि किसानों को गेहूँ बिक्री में कोई असुविधा न हो ।
- राज्य के किसानों को गेहूँ की अधिप्राप्ति के परिपेक्ष्य में भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से तत्काल (48 घंटों के अन्दर) भुगतान किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में क्रय किये गये गेहूँ का भुगतान बकाया नहीं रखा जायेगा ।
- व्यापार मंडल द्वारा अधिप्राप्त गेहूँ को संग्रहण केन्द्र में जमा करते समय पंजीकृत किसानों को क्रय गेहूँ के विरूद्ध RTGS/NEFT के माध्यम से किये गये भुगतान के साक्ष्य (Advice) के आधार पर प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रर्वतन प्रमाण पत्र के आधार पर निगम द्वारा प्रतिपूर्ति की राशि कमीशन सहित भुगतान किया जाएगा ।
- रब्बी विपणन मौसम 2018–19 में यह सुनिश्चित किया जाए कि जिन जिलों द्वारा निर्धारित समय सीमा अन्तर्गत अधिप्राप्ति गेहूँ की मात्रा जमा नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उन जिलों के संबंधित व्यापार मंडलों को अविलम्ब हीं चिन्हित किया जाय एवं उनके विरूद्ध आवश्यक कानुनी / अनुशासनिक कार्रवाई किया जाय ।
- विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अन्तर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति का कार्य बिहार राज्य खाद्य एंव असैनिक आपूर्ति निगम के द्वारा राज्य सरकार के निर्णय अनुसार नोडल एजेंसी के रूप में करती है । गेहूँ अधिप्राप्ति से संबद्ध सभी राशि सरकारी राशि है ।
- जो किसान अपनी जमीन पर खेती करते हैं, वैसे किसानों के ऑन–लाईन पंजीयन हेतु भूमि की विवरणी के साथ फाटोयुक्त पहचान पत्र के आधार पर आवेदन प्राप्त की जाय एवं वैसे किसान के द्वारा खेती की जाने वाली भूमि एवं फोटोयुक्त पहचान पत्र के सत्यापन के उपरांत ऑन–लाईन पंजीकरण करा सकते हैं। ऐसे किसानों का आवेदन का सत्यापन हेतु जिला स्तर/प्रखंड स्तर/पंचायत स्तर पर सहकारिता विभाग द्वारा सत्यापन एवं ऑन–लाईन पंजीकरण की व्यवस्था लागू की जायेगी, ताकि किसी भी प्रकार की फर्जी न हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
- किसानों से गेहूँ का क्रय संबंधित किसानों से स्वअभिप्रमाणित प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रति किसान अधिकतम सीमा 150 (एक सौ पचास) क्विंटल तक निर्धारित रहेगी ताकि किसानों को न्यनूतम समर्थन मूल्य का लाभ अधिक से अधिक मिल पाये।
- वैसे किसान जो दूसरे के जमीन पर खेती करते है, वे संबंधित किसान सलाहकार/वार्ड सदस्य से दूसरे के जमीन पर खेती करने से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे तथा ऑन–लाईन पंजीकरण कराने के पश्चात् उनसे अधिकतम 50 क्वीं0 गेहूँ की अधिप्राप्ति की जायेगी।
- **व्यापार मंडल के स्तर पर खोले गये क्रय केन्द्रों द्वारा किसी भी परिस्थिति में वायदा आधारित गेहूँ का क्रय नहीं किया जाएगा ।** साथ ही किसी भी परिस्थिति में वायदा आधारित गेहूँ की मात्रा प्रतिवेदित न हो इसके लिए व्यापार मंडलों के गोदामों के साथ गेहूँ संग्रहरण केन्द्रों का भी भौतिक

सत्यापन सुनिश्चित की जाय एवं निर्धारित समय सीमा के पूर्व गेहूँ अधिग्रहरण केन्द्रों अधिप्राप्ति गेहूँ की मात्रा कराते हुए तत्संबंधी अन्तिम प्रतिवेदन सहकारिता विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को उपलब्ध करायी जाय ।

- विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था में उच्च पारदर्शिता एवं ई–गवरनेन्स की अनिवार्यता को ध्यान में रखकर अधिप्राप्ति की पूरी प्रकिया गेहूँ क्रय एवं भुगतान आदि Computer Software के माध्यम से होगी। बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा RTGS/NEFT प्रक्रिया अंतर्गत जिला को भुगतान हेतु PFMS में नामित खातों से राशि आवंटित किया जायेगा।
- गेहूँ अधिप्राप्ति एवं विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति का कार्य भारत सरकार के निदेशानुसार Online Procurement Management System (OPMS) के माध्यम से सम्पन्न होगा एवं Online Daily Reporting बाध्यकारी होगा। जिलों द्वारा गेहूँ अधिप्राप्ति का दैनिक प्रतिवेदन सहकारिता विभाग को भेजने के साथ राज्य खाद्य निगम को भेजा जायेगा। साथ ही उक्त दैनिक प्रतिवेदन की एक प्रति एफ0सी0आई0 के जिला कार्यालय/क्षेत्रीय प्रबंधक को भी उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति ऑनलाईन के माध्यम से खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को भी उपलब्ध करायी जाएगी।
- नोडल एजेंसी के रूप में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम अधिप्राप्ति साफ्टवेयर के माध्यम से गेहूँ का क्रय, भुगतान एवं गेहूँ की प्राप्ति का कार्य चरणबद्ध रूप से सम्पन्न करेगी । इस प्रकार अधिप्राप्ति की सारी प्रक्रिया e-procurement software द्वारा सम्पादित किया जायगा ।
- बिहार राज्य खाद्य निगम यह सुनिश्चित करेगा कि गेहूँ की प्राप्ति हेतु यथावांछित संख्या में गन्नी बैग्स की ससमय उपलब्धता सुनिश्चित हो ताकि किसी भी परिस्थिति में जिलान्तर्गत गन्नी बैग्स की कमी नहीं हो सके।
- पूर्व की भाँति बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा स्थापित गेहूँ संग्रहण केन्द्रों पर प्रति लॉट 270 क्वीं0 गेहूँ की प्राप्ति किया जायगा ।

3. राज्य सरकार द्वारा लिये गये उपर्युक्त निर्णय के अक्षरशः अनुपालन हेतु प्रत्येक जिले में निम्नांकित यवस्था अनिवार्य रूप से अविलम्ब कर ली जाय ।

(I) लक्ष्य का निर्धारण

- रब्बी विपणन मौसम 2018–19 अन्तर्गत राज्य के किसानों से गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु भारत सरकार के स्तर से निर्धारित सम्भावित लक्ष्य के अनुरूप 2.00 (दो) लाख मे0टन का लक्ष्य निर्धारित किये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है । ऐसी स्थिति में राज्य के पंजीकृत किसानों से अधिक से अधिक निधारिंत सीमान्तर्गत उनके द्वारा उत्पादित गेहूँ की अधिप्राप्ति की जाय ।
- बतौर नोडल एजेंसी बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम का व्यापारमंडलों से सिर्फ अधिप्राप्ति गेहूँ संग्रहरण केन्द्रो पर प्राप्त करने का दायित्व होगा । व्यापारमंडलों के क्रय केन्द्रों पर ऑनलाईन पंजीकृत किसानों से ही गेहूँ क्रय करने की व्यवस्था रहेगी । बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा स्थापित संग्रहरण केन्द्रों पर गोदाम प्रबंधक एवं गुणवत्ता नियंत्रक की तत्काल प्रतिनियुक्ति की जायेगी ।
- रब्बी विपणन मौसम 2018–19 अन्तर्गत जिलावार निर्धारित लक्ष्य सम्भावित लक्ष्य है, किसानों के हित में इसे अधिक गेहूँ अधिप्राप्ति करने हेतु जिला स्वतंत्र है । आपसे यह अपेक्षा है कि इस लक्ष्य को अपने स्तर से प्रखंडवार/पंचायतवार निर्धारित करें ताकि आवश्यकतानुसार संबंधित व्यापारमंडलों द्वारा पर्याप्त तैयारी ससमय की जा सके ।
- **व्यापारमंडलवार गेहूँ क्रय का लक्ष्य निर्धारित करते समय संबंधित जिला पदाधिकारी जिलान्तर्गत गेहूँ उत्पादन की वास्तविक आकंडों को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में गेहूँ अधिप्राप्ति की मात्रा उत्पादन सीमा से अधिक न हो ।**

(II) क्रय केन्द्रो का निर्धारण

- रब्बी विपणन मौसम 2018–19 अन्तर्गत किसानों से गेहूँ का क्रय मुख्य रूप से प्रखंड स्तर पर व्यापारमंडल द्वारा क्रय केन्द्र की स्थापना की जायेगी । मूल रूप से क्रय केन्द्र स्थापित करने की जिम्मेवारी सहकारिता विभाग की है । सहकारिता विभाग यह सुनिश्चित करेंगा कि जिलान्तर्गत संचालित सभी क्रय केन्द्रों में निम्नांकित तैयारियॉ पूरी कर ली गयी है :–
  - क्रय केन्द्रों एवं महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर अधिप्राप्ति कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना का बैनर / दीवार अभिलेखन ।
  - किसानों का ऑनलाईन पंजीकरण ।

- क्रय केन्द्र हेतु प्रतिदिन अनुमानित अधिप्राप्ति के आकलन के अनुरूप भंडारण हेतु गोदाम की समुचित व्यवस्था ।
- माप–तौल यंत्र की व्यवस्था ।
- Moisture Meter की व्यवस्था एवं Calibration।
- प्रतिदिन ऑनलाईन पंजीकृत किसानों की सूची जिले के वेबसाईट/व्यापरमंडलों के क्रय केन्द्र पर प्रदर्शित करने की व्यवस्था, ताकि किसानों को आवश्यक जानकारी प्राप्त हो सके ।
- पर्याप्त रोशनी/विद्युत की व्यवस्था ।
- माप दंड के अनुरूप दक्ष एवं योग्य कर्मियों की व्यवस्था ।
- पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था ।
- केन्द्र के आस–पास पर्याप्त खुले स्थान का होना ।
- विहित प्रकिया के अनुरूप पंजियों का संधारण ।
- प्रत्येक दिन किसानों से प्राप्त किये गये गेहूँ को निर्धारित बेस गोदाम पर पहुंचाने हेतु परिवहन व्यवस्था
- किसानों को **RTGS/NEFT** के माध्यम से अविलंब भुगतान हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी का पदस्थापन ।
- सहकारिता विभाग द्वारा किसानों से गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु क्रियाशील किये जानेवाले व्यापार मंडलों के स्तर पर क्रय केन्द्र हेतु गोदाम की व्यवस्था करने की जिम्मेवारी सहकारिता विभाग की होगी । व्यापार मंडलों द्वारा किसानों से क्रय किये गये गेहूँ को गेहूँ संग्रहरण केन्द्रों पर उपलब्ध कराया जायेगा । वैसे गोदाम जहॉ पहुच पथ की व्यवस्था सुगम नहीं है उन गोदामों को चिन्हित कर संबंधित जिला पदाधिकारी आपदा मोड में पहुँच पथ तैयार कराकर नव निर्मित गोदामों की उपयोगिता सुनिश्चित करेंगे।
- सभी जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि आपके जिलें में उपर्युक्त तैयारियों के साथ 05 अप्रैल 2018 से गेहूँ अधिप्राप्ति क्रय केन्द्र पूर्ण रूप से कार्यरत / क्रियाशील हो जाय ।
- व्यापार मंडल क्रय केन्द्र पर गेहूँ उपलब्ध कराने वाले सभी कृषकों को गेहूँ प्राप्ति के उपरान्त प्राप्ति रसीद एवं राशि भुगतान रसीद की छायाप्रति उपलब्ध करायेंगे ।
- व्यापार मंडल क्रय केन्द्र द्वारा प्रतिदिन किये गये अधिप्राप्ति कार्यो की निर्धारित प्रपत्र में संक्षिप्त विवरणी अधिप्राप्ति सॉफ्टवेयर पर ऑनलाईन **/MS-Excel, Kruti Dev 010** के माध्यम से प्रखंड/जिला/मुख्यालय को भेजने की व्यवस्था अनिवार्य होगी ।
- अधिप्राप्ति अवधि (30.06.2018 तक) समाप्त होते ही जिला पदाधिकारी सभी क्रय केन्द्रों यथा व्यापार मंडल क्रय केन्द्र से विहित प्रपत्र में गेहूँ क्रय का अंतिम प्रतिवेदन प्राप्त कर पूर्ववत् बिना चूक के भेजेंगे एवं उसका संयुक्त भौतिक सत्यापन (विडियोग्राफी सहित) जी0पी0एस0 आधिारित फोटोग्राफी/विडियोग्राफी क्रय केन्द्रों से ही अपलोड करेंगे एवं समेकित कराकर प्रतिवेदन अधिकतम 10 दिनों के अन्दर तक सहकारिता विभाग, निगम मुख्यालय एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को ई–मेल के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध करायेगें । अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् पुनः समर्पित संशोधित प्रतिवेदनों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा ।
- व्यापारमंडल द्वारा अधिप्राप्ति गेहूँ का परिवहन कर निगम द्वारा संचालित निकटतम गेहूँ संग्रहण प्रत्येक जिले में एक केन्द्र होगा जो सी0एम0आर0 एवं पी0डी0एस0 गोदाम से अलग होगा। केन्द्र पर स्वयं अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष आपूर्ति करना सुनिश्चित करेंगे ।
- बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा व्यापारमंडलों से अधिप्राप्ति गेहूँ की मात्रा प्राप्त की जायेगी । गेहूँ संग्रहरण केन्द्रो पर गेहूँ प्राप्ति के संदर्भ में निम्नांकित तथ्य अनुकरणीय होगा :–
  - **पूर्व की भॉति प्रति लॉट 270 क्वीं0 अधिप्राप्ति गेहूँ की प्राप्ति किया जाएगा ।**
  - **प्रत्येक गेहूँ संग्रहरण केन्द्र प्रभारी व्यापारमंडलवार प्रति लॉट प्राप्त गेहूँ की सूचना जिला प्रबंधक/अपर जिला प्रबंधक (अधिप्राप्ति) को प्रतिदिन देना सुनिश्चित किया जाएगा ।**

- **व्यापार मंडलों द्वारा जमा करने हेतु लाए गये गेहूँ का वाहन सहित फोटोग्राफी कराना एवं अपलोड करना तथा अभिलेख के रूप में संधारित किया जाना।**
- **प्रत्येक दिन प्राप्त होने वाले गेहूँ का अनिवार्य रूप से ऑन–लाईन प्रविष्टि सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में बिना ऑन–लाईन प्रविष्टि के गेहूँ की प्राप्ति नही की जायेगी।**
- **गेहूँ के निर्गमन में प्रथम आगत–प्रथम निर्गत सिद्धांत का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।**

(iii) **<u>भंडारण की व्यवस्था</u>**

- अधिप्राप्ति गेहूँ भंडारण हेतु प्रयुक्त सभी गोदाम अधिसूचित होगें। सभी अधिसूचित गोदामों की सूची अधिप्राप्ति सॉफटवेयर पर दर्ज रहेगी तथा सभी गोदामों का फोटो अपलोडेड रहेगा। सभी अधिसूचित गोदामों का Mapping (अक्षांश/देशान्तर) भी सूची में अंकित रहेगा, ताकि गोदामों के सही Location की पहचान आसानी से हो सके। गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले जिलावार गोदामों को सहकारिता विभाग द्वारा अधिसूचित करना सुनिश्चित किया जायेगा।
- जिलों में व्यापार मंडल क्रय केन्द्र एवं उसके साथ सम्बद्ध गोदामों/बिहार राज्य भंडार निगम/बिहार राज्य खाद्य निगम के उपलब्ध गोदामों को गेहूँ अधिप्राप्ति के लिए प्रयोग में लाने हेतु प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम जिलावार गोदामों को अधिसूचित करना सुनिश्चित करेंगे।
- सभी गेहूँ संग्रहण हेतु उपयोग में लिये जाने वाले गोदामों को अवशेष भंडार शून्य (Zero Physical Verification) के पश्चात उक्त गोदामों का विडियोग्राफी कराये जाने के पश्चात ही अधिप्राप्ति गेहूँ प्राप्त किया जाय।
- बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा बाजार समिति प्रांगण में गोदाम की व्यवस्था की जाती है । पूर्व में दिये गये निदेश के अनुसार जिलों में अवस्थित बाजार समिति प्रांगण में उपलब्ध गोदाम, औधोगिक क्षेत्र के प्रांगण क्षेत्र में अवस्थित गोदाम, टाउन हॉल, खाली पड़े बिहार राज्य वित्त निगम एंव अन्य संस्थाओं के गोदाम/कोल्ड स्टोरेज तथा बड़े–बड़े निजी गोदामों का सर्वेक्षण कराकर इसे भंडारण हेतु बिहार राज्य खाद्य निगम को उपलबध कराना सुनिश्चित किया जायेगा । अगर राज्य खाद्य निगम को निर्धारित दर पर निजी गोदाम उपलब्ध नहीं होता है तो उन गोदामों का किराया संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी–सह–नियंत्रण पदाधिकारी के माध्यम से निर्धारित कराकर राज्य खाद्य निगम को उपलबध करायी जाय । तदनुसार राज्य खाद्य निगम द्वारा निजी गोदामों के किराये का भुगतान किया जायेगा ।
- **<u>व्यापार मंडल के गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु क्रियाशील गोदामों पर निम्न व्यवस्था रहेगी :–</u>**
  - निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप गुणवत्ता जॉच की व्यवस्था एवं डनेज मटेरियल की उपलब्धता।
  - निर्धारित माप दंड के अनुरूप तारपोलिन/तिरपाल की व्यवस्था।
  - निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप नाइलन की रस्सी।
  - घेराबंदी अगर पूर्व से उपलब्ध न हो।
  - कैंप कार्यालय की व्यवस्था ।
  - पर्याप्त रोशनी (लाईटिंग) की व्यवस्था ।
  - अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था ।
  - सुरक्षा की व्यवस्था ।
  - निर्धारित माप दंड के अनुरूप योग्य कर्मियों की उपलब्धता ।
  - निर्धारित माप दंड के अनुरूप पंजियों का संधारण ।
  - प्रतिदिन Procurement Software पर ऑनलाईन/निर्धारित प्रपत्र में **MS-Excel, Kruti Dev 010** के माध्यम से प्रतिवेदन तैयार कराकर प्रखंड/अनुमंडल कार्यालय/जिला/सहकारिता विभाग/राज्य खाद्य निगम/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था ।

(IV) **<u>गेहूँ क्रय केन्द्र पर किसानों से प्राप्त किये जाने वाले कागजात :–</u>**

- भूमि संबंधी दस्तावेज–अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र/हाल का मालगुजारी रसीद– इनमें से कोई एक। राजस्व रसीद/भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र की संभावित

जालसाजी को रोकने के लिए प्रमाण–पत्र निर्गत करने वाले अंचलाधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी के हस्ताक्षर का नमूना व्यापार मंडलों के क्रय केन्द्र पर उपलब्ध कराया जायेगा। यह भी सुनिश्चित हो, कि एल0पी0सी0 अंचल कार्यालय से निर्गत हो तथा उसपर ज्ञापांक एवं दिनांक अंकित होना अनिवार्य होगा। साथ ही उसकी एक प्रति अंचल कार्यालय में उपलब्ध रहेगी। किसानों द्वारा समर्पित सभी दस्तावेज स्वअभिप्रमाणित होना आवश्यक है। ऑन–लाईन पंजीकरण कराने में किसी तरह की कठिनाई होने पर प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी/सहायक निबंधक, सहयोग समितियॉ एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है।

- किसानों का फोटोयुक्त पहचान पत्र/मतदाता पहचान पत्र/पासबुक की छायाप्रति/ड्राइविंग लाईसेंस एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य दस्तावेज–इनमें से कोई एक।
- अगर किसी दूसरे की जमीन पर खेती कर रहे हो, तो ऑन–लाईन पंजीकरण हेतु आवश्यक कागजात निम्नवत होगें :– 1. अपना फोटो 2. पहचान पत्र (आधार कार्ड एवं अन्य मान्यता प्राप्त पहचान पत्र) 3. बैंक पासबुक 4. गेहूँ उत्पादन में उनके द्वारा प्रयुक्त भूमि का रकबा/क्षेत्रफल से संबंधित स्वघोषणा पत्र (इस घोषणा पत्र पर अपने आवास से संबंधित वार्ड सदस्य या पंचायत से किसान सलाहकार की अनुशंसा अनिवार्य होगी)।
- सभी क्रय के संबंध में पंजीकृत किसानों की सूची से मिलान सुनिश्चित करना तथा सत्यापित करना।
- रब्बी विपणन मौसम, 2018–19 अंतर्गत साफ–सुथरे एवं सूखे हुए गेहूँ, जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप हो, को ध्यान में रखते हुए किसानों से गेहूँ की अधिप्राप्ति की जाय। साथ ही किसानों से प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के स्तर से निर्गत सत्यापन प्रमाण पत्र निश्चित रूप से संलग्न रहे।
- व्यापार मंडलों द्वारा अधिप्राप्ति गेहूँ का हस्तांतरण निगम के अधिसूचित गेहूँ संग्रहन केन्द्र के गोदामों पर विहित प्रपत्र में निर्गत Accctance Order के आधार पर किया जायेगा। राज्य खाद्य निगम गेहूँ संग्रहन केन्द्र की स्थापना करना सुनिश्चित करेगी, ताकि व्यापार मंडलों का दबाव कम हो।
- रब्बी विपणन मौसम 2018–19 अन्तर्गत साफ–सुथेर एवं सुखे गेहूँ भारत सरकार द्वारा निम्न निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप अधिप्राप्ति की जाय ।

विजातीय तत्व	अन्य खाद्यान्न %	क्षतिग्रस्त दाने %	थोड क्षतिग्रस्त दाने %	सिकुड़े और टोटे दाने %
0.75	2.00	2.00	4.00	6.00

(V) भुगतान की व्यवस्था

- किसी भी परिस्थिति में वायदा आधारित कोई भी गेहूँ की अधिप्राप्ति एवं भुगतान नहीं किया जायेगा ।
- किसान को व्यापारमंडल द्वारा प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराई जायेगी, जिसपर क्रय गेहूँ की मात्रा, मूल्य एवं भुगतान की सम्भावित तिथि आदि अंकित होगी। किसान को खाते में PFMS के माध्यम से राशि अन्तरण की सूचना SMS से भी प्राप्त होगी।
- व्यापार मंडल द्वारा यह सुनिश्चित की जायगी कि सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुरूप सभी किसानों को उनसे क्रय किये गये गेहूँ का भुगतान अविलम्ब RTGS/NEFT के माध्यम से संबंधित क्रय केन्द्र पर ही तत्काल (48 घन्टे के अन्दर) कर दिया जाय। इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु निम्नांकित कार्रवाई की जाय :–
  - व्यापार मंडल के प्रत्येक क्रय केन्द्र पर PFMS/RTGS/NEFT के माध्यम से भुगतान करने हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी का प्रतिदिन उपलब्ध होना।
  - व्यापार मंडल द्वारा क्रय किये गये गेहूँ का भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से किसानों को क्रय के तुरन्त बाद किया जाना अनिवार्य होगा। किसी भी किसान का भुगतान लंबित नहीं रखा जाय। भुगतान की सूचना SMS से किसानों को उसके पंजीकृत मोबाईल पर दिया जाना सुनिश्चित किया जाय।
  - व्यापार मंडलों को उनके द्वारा जमा गेहूँ के विरूद्ध जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं

असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा उनसे प्राप्त कागजातों यथा सत्यापित बैंक एडवाईस, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र, गेहूँ का व्यापार मंडलों द्वारा निर्गत आर0टी0 नोट, एक्सेपटेन्स नोट एवं वजन तालिका आदि के विधिवत जॉचोपरांत RTGS/NEFT के माध्यम से अधिकतम 7 दिनों के अंदर भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा एवं PFMS पोर्टल में भी इसकी प्रविष्टि की जायेगी।

(VI) <u>जिला स्तर पर प्रबंधन/अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण की व्यवस्था।</u>

- रब्बी विपणन मौसम, 2018–19 अंतर्गत जिला पदाधिकारी जिला स्तर पर गेहूँ अधिप्राप्ति कार्य का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी की पूर्णकालिक प्रतिनियुक्ति करेंगे एवं स्वंय जिला अंतर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि गेहूँ अधिप्राप्ति में पारदर्शिता बनी रहे।
- **प्रबंधन/अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण का कार्य अधिप्राप्ति सॉफटवेयर के माध्यम से हो।**
- अनुमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे प्रतिदिन अपने अनुमंडल अंतर्गत अधिप्राप्ति की पूर्ण समीक्षा कर प्रतिवेदन MS- Excel, Kruti Dev 010 में जिला पदाधिकारी को भेजेंगे ।
- प्रत्येक प्रखंड में अधिप्राप्ति कार्य का नियमित अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण हेतु जिला पदाधिकारी जिला से एक वरीय उप समाहर्त्ता की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे।
- **प्रखंड स्तर पर पदस्थापित/प्रतिनियुक्त प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर गेहूँ अधिप्राप्ति की कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु प्राधिकृत किया जाय।**

4. <u>व्यापार मंडल के क्रय केन्द्र पर Enforcement Officer की प्रतिनियुक्ति</u>

- व्यापार मंडल के क्रय केन्द्रों में प्रतिनियुक्त वरीय उप समाहर्त्ता/जिला पदाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त सक्षम पदाधिकारी को आवश्यकतानुसार Enforcement Certificate देने हेतु प्राधिकृत किया जाय ।
- व्यापार मंडलों द्वारा किसानो से गेहूँ क्रय करने के पश्चात् उसे राज्य खाद्य निगम के अनुमंडल स्तर पर स्थापित गेहूँ संग्रहण केन्द्रों पर सुपूर्द करने हेतु Enforcement Officer की प्रतिनियुक्ति की जाय । राज्य खाद्य निगम के गेहूँ संग्रहण केन्द्र प्रभारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे Enforcement Certificate प्राप्त कर लें। व्यापार मंडल द्वारा किसानो से खरीदे गये गेहूँ से सम्बन्धित कागजात ही राज्य खाद्य निगम के गेहूँ संग्रहण केन्द्र प्रभारी को उपलब्ध कराया जायेगा । किसी भी परिस्थिति में व्यापार मंडलों द्वारा किसानों को Enforcement Certificate देने के लिए बाध्य नहीं किया जाय ।

5. <u>व्यापार मंडलों से गेहूँ प्राप्त करने हेतु रोस्टर की व्यवस्था</u>

- बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा व्यापार मडलों से गेहूँ लेने के लिए व्यापार मंडलों का रोस्टर तैयार कर लिया जाय ताकि व्यापार मंडलों को यह जानकारी रहें कि किस तिथि को उन्हें राज्य खाद्य निगम के गेहूँ संग्रहण केन्द्र पर गेहूँ पहुँचाना है । इस व्यवस्था को इस प्रकार लागू किया जाय कि राज्य खाद्य निगम के गेहूँ संग्रहण केन्द्रों पर अनावश्यक रूप से भीड़ नही लगे एवं व्यापार मंडल सुगमतापूर्वक बिना कठिनाई के राज्य खाद्य निगम के गोदामों पर गेहूँ की सुपूर्दगी कर सके ।

6. **विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अंतर्गत विभिन्न स्तरों (पदाधिकारियों/विभागों) की भूमिका।**

(i) <u>अधिप्राप्ति कार्य में जिला पदाधिकारी की भूमिका।</u>

- जिला अंतर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुसार अधिप्राप्ति गेहूँ की प्राप्ति एवं गेहूँ संग्रहण केन्द्र पर अधिप्राप्ति गेहूँ को हस्तगत कराने की जिला स्तर पर पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित जिला पदाधिकारी की होगी।
- क्रय केन्द्रों का निरीक्षक कर वास्तविक किसानों से गेहूँ का क्रय सुनिश्चित करना एवं लगातार क्रय केन्द्रों का निरीक्षण कराकर गेहूँ अधिप्राप्ति को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाना ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो।
- जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स की साप्ताहिक बैठक आयोजित कर जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक।
- **व्यापार मंडल द्वारा अधिप्राप्ति गेहूँ बिहार राज्य खाद्य निगम के अधिसूचित गेहूँ संग्रहण केन्द्र पर प्राप्त गेहूँ से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त करना एवं मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा सहकारिता विभाग को दैनिक प्रतिवेदन भेजना।**

- **बिहार राज्य खाद्य निगम के अधिसूचित गेहूँ संग्रहण केन्द्रों पर आवश्यकतानुसार अनुभवी एवं आरोपरहित कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करना।**
- बिहार राज्य खाद्य निगम के गेहूँ संग्रहण केन्द्रों पर कर्मियों की प्रतिनियुक्ति पुनः उसी स्थान पर नही हो, जहाँ वे गत वर्ष पदस्थापित थे एवं वितरण प्रणाली से जुड़े पदाधिकारी को अधिप्राप्ति कार्य में नही लगाया जायेगा।
- सहकारिता विभाग के सभी पदाधिकारी बिहार राज्य खाद्य निगम के सहायक प्रबंधकों एवं कुछ मुख्य व्यापार मंडलों के साथ मासिक बैठक कर अधिप्राप्ति कार्य की समीक्षा करना।
- राज्य मुख्यालय से सम्पर्क बनाये रखना।

(ii) <u>अधिप्राप्ति कार्य में आरक्षी अधीक्षक की भूमिका।</u>

- **क्रय केन्द्रों पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना।**

(iii) <u>अधिप्राप्ति कार्य में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम/व्यापार मंडलों की भूमिका।</u>

- अनुमंडल स्तर पर आवश्यकतानुसार अधिसूचित गेहूँ संग्रहण केन्द्र की स्थापना एवं उसे 05.04.2018 से क्रियाशील करना।
- व्यापार मंडलों से अधिप्राप्त गेहूँ के परिप्रेक्ष्य में गेहूँ की मात्रा गेहूँ संग्रहण केन्द्र पर प्राप्त करना।
- प्रतिदिन व्यापार मंडलों द्वारा क्रय किये गये गेहूँ एवं गेहूँ संग्रहण केन्द्र पर प्राप्त की गयी मात्रा से संबंधित प्रतिवेदन, विभाग, मुख्य सचिव, विकास आयुक्त एवं सहकारिता विभाग को भेजेगें।
- व्यापार मंडलों को लेखा का संधारण एवं अधिप्राप्ति का वर्षवार लेखाओं का अंकेक्षण कराना।
- अधिप्राप्ति कार्य के लिए प्रतिनियुक्त कर्मियों को प्रशिक्षण देना।
- किसानों द्वारा व्यापार मंडलों के क्रय केन्द्रों पर अधिप्राप्ति हेतु लाए गये गेहूँ का अनलोडिंग एवं बिहार राज्य खाद्य निगम के गेहूँ संग्रहण केन्द्र गोदाम तक पहुँचाने की जिम्मेवारी व्यापार मंडलों की होगी। इसके लिए व्यापार मंडलों द्वारा पर्याप्त संख्या में मजदूरों की व्यवस्था करना एवं स्वीकृत दर पर भुगतान सुनिश्चित करना।
- **व्यापार मंडलों द्वारा गेहूँ संग्रहण केन्द्रों में अधिप्राप्ति गेहूँ जमा कराने के पूर्व जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम से विहित प्रपत्र में एक्सेमटेंस आर्डर प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा। गेहूँ संग्रहण केन्द्र गोदाम प्रभारी जिला कार्यालय से निर्गत एक्सेपटेंस आर्डर के आधार पर ही व्यापार मंडलों से अधिप्राप्ति गेहूँ प्राप्त करेंगे।**
- नोडल एजेंसी के रूप में बिहार राज्य खाद्य निगम व्यापार मंडल से प्राप्त गेहूँ की मात्रा को विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति योजना अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत टी0पी0डी0एस0 में उसके प्रयोग का प्रबंधन करेगी। गेहूँ अधिप्राप्ति एवं विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति को अधिक सूचारू एवं प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए समय–समय पर आवश्यकतानुसार दिशा–निर्देश निगम अपने वित्तीय एवं प्रशासनिक हित में निर्गत करेगी।
- गेहूँ अधिप्राप्ति के समापन की समीक्षा कर दैनिक एवं अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित समय–सीमा में प्राप्त करना। रब्बी विपणन मौसम, 2018–19 के समापन के उपरांत गोदामों का सत्यापन एवं अंकेक्षण कराना।

(iv) <u>अधिप्राप्ति कार्य में सहकारिता विभाग की भूमिका।</u>

- जिला स्तर पर एक नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति करेंगे।
- यदि व्यापार मंडल के स्तर पर किसानों से गेहूँ ससमय नही लिये जाने की शिकायत प्राप्त होती है, तो त्वरित कठोर कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जायेगा एवं निर्धारित समय–सीमा के अंदर गेहूँ की अधिप्राप्ति सुनिश्चित करेंगे।
- रब्बी विपणन मौसम, 2018–19 अंतर्गत सिर्फ अंकेक्षित व्यापार मंडलों को गेहूँ अधिप्राप्ति करने हेतु प्राधिकृत करेंगे।
- चूँकि किसानों का ऑन–लाईन पंजीकरण का दायित्व सहकारिता विभाग को सौंपा गया है, इसलिए पंजीकृत किसानों का डाटा राज्य के नोडल एजेंसी बिहार राज्य खाद्य निगम एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को प्रतिदिन उक्त डाटाबेस की सॉफट कॉपी सहकारिता विभाग उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। इस डाटाबेस के आधार पर ही बिहार राज्य खाद्य निगम व्यापार मंडलों से प्राप्त किये गये गेहूँ के विरूद्ध भुगतान करने की कार्रवाई की जायेगी।

- सभी व्यापार मंडल गेहूँ की अधिप्राप्ति के पश्चात चेक लिस्ट के अनुसार किसानों से वांछित कागजात प्राप्त कर बिहार राज्य खाद्य निगम के जिलास्तरीय कार्यालय में जमा करेंगे, ताकि बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा निर्गत एकसेपटेंस ऑर्डर के आधार पर गेहूँ संग्रहण केन्द्रों में अधिप्राप्ति गेहूँ जमा करने की कार्रवाई की जा सकेगी।
- किसानों का सभी डाटा बेस Unicode में अंग्रेजी भाषा में होना चाहिए, ताकि किसानों को असुविधा न हो।
- व्यापार मंडल वायदा आधारित गेहूँ का क्रय किसी भी परिस्थिति में नही करेंगे। सहकारिता विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि व्यापार मंडलों को नगद ऋण अधिसीमा (सी0सी0 लिमिट) आवश्यकतानुसार अविलंब उपलब्ध कराये।
- सहकारिता विभाग द्वारा व्यापार मंडलों के माध्यम से किसानों से नित्य दिन क्रय किये गये गेहूँ के ऑकड़ों से भारतीय खाद्य निगम/राज्य खाद्य निगम/सहकारिता विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/मुख्य सचिव, बिहार को जिला स्तर से मोबाईल एप्स के द्वारा अवगत करायेंगे, जिसमें किसानों की संख्या धान की मात्रा का जिलावार विवरणी उल्लिखित हो।
- अधिप्राप्ति कार्य हेतु सक्षम व्यापार मंडलों का चयन करें।
- वैसे व्यापार मंडल, जो किसी कारणवश गत वर्ष अधिप्राप्ति कार्य में भाग नही ले पाये, को रब्बी विपणन मौसम, 2018–19 में कार्य करने की स्थिति में लाने की दिशा में समुचित/विधिसम्मत कार्रवाई करना, ताकि सभी प्रखंडों में गेहूँ अधिप्राप्ति का केन्द्र क्रियाशील हो सके।
- व्यापार मंडल क्रय केन्द्र पर गेहूँ के क्रय के पूर्व निर्धारित मानक के अनुरूप गेहूँ के गुणवत्ता की जॉच प्रत्येक कार्य दिवस को क्रय के पश्चात किसानों को RTGS/NEFT के माध्यम से भुगतान की गयी राशि, व्यापार मंडल क्रय केन्द्र पर अधिप्राप्ति किये गये गेहूँ की प्रारंभिक भंडार प्राप्ति एवं विशेष भंडार सतत निगरानी, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु सहकारिता विभाग के पदाधिकारियों यथा प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, अंकेक्षण पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहायक निबंधक पदाधिकारी को अधिप्राप्ति कार्य हेतु दायित्व निर्धारित करना एवं इनके द्वारा निरीक्षण हेतु मापदंड निर्धारित करना।
- व्यापार मंडल क्रय केन्द्रों का सुचारूपूर्वक संचालन सुनिश्चित करना।
- व्यापार मंडल गेहूँ क्रय केन्द्र का भौतिक सत्यापन प्रत्येक सप्ताह में प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में किया जायेगा। भौतिक सत्यापन प्रपत्र पर दो स्थानीय निर्वाचित जन प्रतिनिधि का हस्ताक्षर भी अपेक्षित होगा। साथ ही सत्यापन का फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी भी आवश्यक होगा।
- गेहूँ अधिप्राप्ति कार्य एवं गेहूँ संग्रहण केन्द्र पर अधिप्राप्ति गेहूँ हस्तगत कराने से संबंधित दैनिक प्रतिवेदन प्राप्त कर विभाग को ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध कराना। साथ ही मोबाईल ऐप के माध्यम से ऑन–लाईन एसेस किया जायेगा।
- व्यापार मंडलों को कॉ–ऑपरेटिव बैंक के माध्यम से निधि उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था करना, ताकि किसानों को तत्काल RTGS/NEFT से ऑन–लाईन भुगतान हो सके। वायदा आधारित गेहूँ अधिप्राप्ति पर पूर्णतः रोक लगाना।
- निदेशालय स्तर से जिलों में चल रही अधिप्राप्ति कार्य के पर्यवेक्षण हेतु पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करना।
- व्यापार मंडलों के प्रबंधकों का अधिप्राप्ति, बैंक संचालन आदि बिन्दुओं पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित करना।
- वैसे जिले जहॉ सहकारी बैंक नही है, वहॉ बिहार राज्य सहकारी बैंक द्वारा पूर्व की भॉति वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जाय।
- गेहूँ अधिप्राप्ति अवधि 30.06.2018 समाप्त होने के दो दिनों के अंदर व्यापार मंडलों द्वारा गेहूँ अधिप्राप्ति से संबंधित अंतिम प्रतिवेदन संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी को अनिवार्य रूप से सौंप दिया जायेगा तथा जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम अधिकतम दस दिनों के अंदर संयुक्त हस्ताक्षरित समेकित प्रतिवेदन जिला मुख्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। ध्यान रहे कि अंतिम प्रतिवेदन समर्पित करने के पश्चात उसमें पुनः किसी प्रकार का संशोधन मान्य नही होगा। अंत्ततोगत्वा जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला प्रबंधक के संयुक्त हस्ताक्षरित संबंधित समेकित अंतिम प्रतिवेदन को जिला पदाधिकारी प्रतिहस्ताक्षरित कर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/सहकारिता विभाग, बिहार, पटना एवं प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

(v) **अधिप्राप्ति कार्य में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की भूमिका।**

- विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि बिहार राज्य खाद्य निगम अधिप्राप्ति कार्य से संबंधित सभी कार्रवाई कुशलता एवं पारदर्शी ढंग से करे।
- नोडल विभाग के हैसियत से अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न विभिन्न अभिकरणों तथा विभाग के बीच समन्वय का कार्य करना।
- प्रतिदिन सहकारिता विभाग, बिहार राज्य खाद्य निगम एवं भारतीय खाद्य निगम से अधिप्राप्ति से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त कर संकलित प्रतिवेदन मुख्य सचिव, विकास आयुक्त एवं मुख्यमंत्री सचिवालय को भेजे।
- बिहार राज्य खाद्य निगम को अधिप्राप्ति कार्य हेतु आवश्यक निधि उपलब्ध कराना।

(VI) **जिलो के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव की भूमिका।**

- प्रत्येक माह अपने सम्बद्ध जिले का भ्रमण कर अधिप्राप्ति कार्य की गहन समीक्षा करना एवं जिलों के प्रभारी मंत्री, सचिव एवं विकास आयुक्त तथा विभाग को मंतव्य सहित प्रतिवेदन समर्पित करना।

(VII) **प्रमंडलीय आयुक्त की भूमिका।**

- प्रत्येक सप्ताह अपने सम्बद्ध जिले का भ्रमण कर अधिप्राप्ति कार्य की गहन समीक्षा करना एवं जिलों के प्रभारी माननीय मंत्री, मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त तथा विभाग को प्रतिवेदन समर्पित करना।

7. **जिला पदाधिकारी की विशेष शक्तियॉ।**

- प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों का प्रशासनिक नियंत्रण जिलाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक के अधीन होगा। साथ ही गेहूँ अधिप्राप्ति एवं गेहूँ संग्रहण केन्द्र पर गेहूँ की प्राप्ति में जिलाधिकारी पर्यवेक्षण के साथ–साथ अधिक गुरूत्तर जिम्मेदारी के साथ कार्य करेंगे।
- अधिप्राप्ति कार्य के लिए जिला पदाधिकारी किसी भी विभाग के पदाधिकारी/कर्मचारी को प्रतिनियुक्त कर सकेंगे।

8. **स्थानांतरण एवं अवकाश पर प्रतिबंध।**

- सामान्य रूप से अधिप्राप्ति की अवधि में इस कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों का स्थानांतरण नही किया जायेगा। विशेष परिस्थिति में स्थानांतरिक प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मचारी गेहूँ अधिप्राप्ति कार्य से जुड़े सभी अभिलेख एवं भंडार का पूर्ण प्रभार सौंप कर विरमित होंगे।
- अधिप्राप्ति की अवधि में इस कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों का अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा। अत्यंत आवश्यक होने पर एक स्तर उपर से पूर्वानुमति प्राप्त कर अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।

विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अंतर्गत राज्य में गेहूँ अधिप्राप्ति का कार्यक्रम सरकार का महत्वकांक्षी कार्यक्रम है एवं राज्य सरकार गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम को पूरे राज्य में सघन अभियान के रूप में संचालित करने तथा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्पित है। इसलिए यह बाध्यकारी है कि इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय एवं जिला अंतर्गत ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय कि राज्य के सभी किसानों को बिना किसी कठिनाई के न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ क्रय के तुरत बाद मिल सके एवं उन्हें अपनी उपज की आपात बिक्री की स्थिति का सामना नही करना पड़े। इस संबंध में किसी भी स्तर पर कोई भी लापरवाही एवं शिथिलता को अति गंभीरता से लिया जायेगा।

9. **अन्यान्य**

इसके पूर्व में पारित सभी आदेशों पर इस आदेश की अधिमान्यता दी जायेगी ।

विश्वासभाजन,

6/4/18

सरकार के मुख्य सचिव।

ज्ञापांक – प्र010/र0वि0अधि0–03/2016 – 1760 खाद्य, पटना/दिनांक – 06.04.18

प्रतिलिपि – सभी जिला के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

6/4/2018

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक – प्र010/र0वि0अधि0–03/2016 – 1760 खाद्य, पटना/दिनांक – 06.04.18
प्रतिलिपि – प्रशासक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि0, पटना/प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना/निबंधक, सहयोग समितियां, बिहार, पटना/महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भंडार निगम, पटना एवं क्षेत्रीय प्रबंधक, केन्द्रीय भंडारण निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक – प्र010/र0वि0अधि0–03/2016 – 1760 खाद्य, पटना/दिनांक – 06.04.18
प्रतिलिपि – सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– प्र010/र0वि0अधि0–03/2016 – 1760 खाद्य, पटना/दिनांक – 06.04.18
प्रतिलिपिः– सभी प्रधान सचिव/सचिव/निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं सभी जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– प्र010/र0वि0अधि0–03/2016 – 1760 खाद्य, पटना/दिनांक – 06.04.18
प्रतिलिपिः– सभी आरक्षी अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– प्र010/र0वि0अधि0–03/2016 – 1760 खाद्य, पटना/दिनांक – 06.04.18
प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– प्र010/र0वि0अधि0–03/2016 – 1760 खाद्य, पटना/दिनांक – 06.04.18
प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को विभाग के वेब–साईट पर अपलोड करने एवं सम्बन्धित को ई–मेल करने हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव।